

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ग्राम सिंगनौर की जमावन्दी संवत् 2075-2078 के खाता सं. 581 में प्रार्थी का नाम पपु पु. जागीरवां दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी द्वारा दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि की दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम पप्पुराम पु. जागीरवां है जो कि सही नाम है। अतः उक्त खाता सं. में प्रार्थी का नाम पपु पु. जागीरवां की जगह पप्पुराम पु. जागीरवां राग दर्ज करना प्रस्तावित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है /नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।
प्रशासन कार्यों के संग अभियान 2021

9/11/2021
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1113
9-11-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुंयुनू (राज.)
- आदेश :-

दिनांक :- 9/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	सिंगनौर	2075-78	581	पपु पु. जागीरवां	पप्पुराम पु. जागीरवां राग

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 869-870
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 9-11-

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

